[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 03/2021-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क के साथ पठित वित्त विधेयक, 2021 के खंड 116 जो कर का अनंतिम संग्रह अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर, विधि का बल रखता है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी क स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण के उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष अथवा टैरिफ मद के अधीन आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के पूर्वोक्त खंड 116 के अधीन उद्ग्रहीत उतने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) से, जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगठित रकम से अधिक है, छूट प्रदान करती है:--

सारणी

क्रम सं.	**अध्याय, शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	**दर**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	5 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 95 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्प्रिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य
2.	2710	10 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 90 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्प्रिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 5 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 2796 के अनुरूप ।	शून्य
3.	2710 12 42	20 प्रतिशत सम्मिश्र एथनॉल पेट्रोल जो ऐसा सम्मिश्र है,- (i) जो 80 प्रतिशत की मात्रा वाली मोटर स्प्रिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है और 20 प्रतिशत मात्रा वाला एथनॉल जिस पर, यथास्थिति, समुचित केंद्रीय कर,	शून्य

		राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर, का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा ; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17021 के अनुरूप ।	
4	2710 12 49	15 प्रतिशत मेथेनॉल संमिश्रित पेट्रोल जो ऐसा संमिश्र है,- (i) मोटर स्प्रिट (सामान्यतया पेट्रोल के रूप में ज्ञात) जिस पर समुचित उत्पाद कर का संदाय किया गया है और मेथेनॉल और सह-विलायक जिन पर समुचित, यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, के परिणाम से मिलकर बनेगा; और (ii) भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशन 17076 के अनुरूप ।	शून्य
5.	2710 1249	तीव्रगति डीजल ऑयल वनस्पति तेल से प्राप्त लौंग-चेन वसीय अम्ल के एल्काइलेस्टर के साथ संमिश्रित, सामान्यतया ज्ञात बायो-ईंजन आयतन 20 प्रतिशत तक, अर्थात् ऐसा संमिश्र जो 80 प्रतिशत या उससे अधिक तीव्रगति डीजल ऑयल जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क का संदाय किया गया है, 20 प्रतिशत तक बायो-डीजल जिस पर समुचित यथास्थिति, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या एकीकृत कर का संदाय किया गया है, से मिलकर बना है ।	शून्य

स्पष्टीकरण- उक्त सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित माल के प्रयोजनार्थ:-

(क) समुचित उत्पाद-शुल्क से तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत छूट की अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर), वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन उद्ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 116 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (कृषि अवसंरचना और विकास उपकर) जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, अभिप्रेत है;

(ख) समुचित केन्द्रीय कर, विक्रय कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबद्ध राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अधीन उद्ग्रहणीय केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर अभिप्रेत होगा ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार